प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - II) का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.लेप II / प्रशा/III / प्रशिक्षण/11-1/2022-23/ No.Au II/Admn/III/Training/11-1/2022-23/

परिपत्र / CIRCULAR NO.31

विषय: ऑनलाइन प्रभाव मूल्य निर्धारण - बाबत् Sub: Online Impact Assessment -reg.

ऑनलाईन प्रभावमूल्य निर्धारण इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस से तीन महीनों की पूर्ति की तारीख से बीस दिवसों के भीतर ऑनलाईन मूल्य निर्धारण अभ्यास पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किए जाते सभी पदाधिकारीगण उत्तरदायी है। तथापि, यह ध्यान में आया है कि अधिकांश प्रशिक्षणार्थीगण उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उदासीन रवैया दर्शाते हैं। अत: लेखापरीक्षा II के अधीन कार्यरत सभी पदाधिकारीगण जो इन-हाउस या प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है, उनसे अनुरोध है कि अभी तक उनके द्वारा भाग लिए गए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित ऑनलाईन प्रभाव मूल्यनिर्धारण पूरा करें।

Online impact assessment is an integral part of the In-house training programmes and the training programmes conducted at training institutes. All the officials nominated for training programmes are responsible for ensuring that they have completed the Online Impact Assessment exercise within 20 days from the date of completion of three months from the last day of training. However, it is noticed that most of the trainees show a lackadaisical attitude in completing the above process. Hence, all the officials under Audit II who have undergone in-house training programmes or training programmes in training institutes are hereby requested to complete the online impact assessment in respect of all training programmes hitherto attended by them.

{वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन और ए एम जी- I) के अनुमोदन से जारी}

{This issues with the approval of Sr. Deputy Accountant General (Admn & AMG-I)}

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन Sr.Audit Officer/Admn.

दिनांक: 31.01.2023

सेवा में /To

- 1. सभी शाखा अधिकारीगण /All Branch Officers
- 2. सभी अनुभाग / All Sections
- 3. सभी क्षेत्रीय दल / All Field Parties
- 4. सूचना पट्ट /Notice Board
- 5. परिपत्र पुस्तिका / Circular Book